## <u>न्यायालयः–दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी</u> तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

प्रकरण कमांक—58 / 2007 संस्थित दिनांक—01.02.2007 फाई.नं0 234503000402007

म.प्र. राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग भैंसानघाट गढ़ी तह. बैहर जिला बालाघाट म.प्र.। ......परिवादी

## विरूद्ध

- हरिप्रसाद पिता तुलसीराम उम्र 40 वर्ष जाति—लौहार निवासी ग्राम पण्डरापानी थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.।
- गुरूमुख पिता गुहदड़ उम्र ४० वर्ष जाति गौंड, निवासी ग्राम पण्डरापानी थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.।

#### -:: निर्णय ::---

## दिनांक- 20/11/2017 को घोषित:-

- 1— अभियुक्तगण पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—51 एवं सहपिवत धारा—27, 29, 30, 31, 32, 35(6)(8) का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—29.11.2006 को कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र के सरईझाप नामक स्थान पर कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी एवं माचिस के साथ अवैध प्रवेश कर कोयला बनाने के उद्श्य से आग लगाकर वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास को नष्ट किया।
- 2— परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्मांक—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र में गश्ती के दौरान जंगल में सरईझाप नामक स्थान तरफ धुआ दिखाई दिया था तब गश्ती दल धुआ वाली दिशा की ओर गया था तो देखा था कि दो व्यक्ति दो स्थानों में लकड़ी इकट्ठा कर आग लगाये हुए थे। तब गश्तीदल के सभी सदस्यों द्वारा घेराबंदी कर घटनास्थल पर से हरिप्रसाद को पकड़ा था एक व्यक्ति फरार हो गया था। जंगल में लगायी गयी दो जगह की आग को तत्काल घटनास्थल पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा बुझाया गया था। घटनास्थल पर पकड़े गये अभियुक्त हरिप्रसाद ने बताया था कि कुल दो व्यक्तियों ने लकड़ी काटकर एकत्र कर कोयला बनाने के लिए कान्हा

नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर आग लगायी थी एक व्यक्ति फरार हो गया था। अभुयक्त हरिप्रसाद ने अपने एक साथी का नाम गुरूमुख बताया था। घटनास्थल से पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ की थी कि उसके पास पार्क के अंदर प्रवेश कर लकड़ी में आग लगाने का कोई अनुज्ञा पत्र है तब अभियुक्त ने बताया था कि उसके पास पार्क के अंदर प्रवेश के लिए लकड़ी इकट्ठा कर आग लगाने का कोई अनुज्ञा पत्र नहीं है। अभियुक्त के पास से दो कुल्हाड़ी, एक माचिस बाक्स सुपर डिलक्स चाबी कम्पनी की, 20 जिन्दा तीली तथा दो सींका रस्सी सहित अभियुक्त ने पंचों के समक्ष जप्त करायीं थी। अभियुक्त ने यह बताया था कि जप्त सामग्री में एक कुल्हाड़ी एवं रस्सी सींका तथा एक माचिस बाक्स 20 जिंदा तीली सिंहत उसकी है और एक कुल्हाड़ी, एक रस्सी सींका अभियुक्त गुरूमुख का है जो उसके पास छोड़कर फरार हो गया है। जिसका जप्ती पत्र, पंचनामा, पी.ओ.आर. की लिखा पढी मौके पर पंचों के समक्ष की गयी थी। फरार अभियुक्त की तलाश की गयी थी। अभियुक्त गुरूमुख को दिनांक 31.11.2006 को गिरफतार कर पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा कबूल किया गया था कि दिनांक 29.11.2006 को अभियुक्त हरिप्रसाद के साथ एक राय होकर उसने कान्हा नेशनल पार्क में अवैध प्रवेश कर लकड़ी एकत्र कर दो जगह आग लगायी थी एवं एक नग कुल्हाड़ी, एक नग रस्सी सींका अभियुक्त हरिप्रसाद के पास छोड़कर फरार हो गया था। अभियुक्तगण के विरूद्ध भरत नेताम वनरक्षक ने पी.ओ.आर. कमांक-2930 / 05 काटा था। अनुसंधान उपरांत न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्त्त किया था।

- 3— अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के पैरा—1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्तगण का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण

में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

# 5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना घटना दिनांक—29.11.2006 को कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र के सरईझाप नामक स्थान पर कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी एवं माचिस के साथ अवैध प्रवेश किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में कोयला बनाने के उद्देश्य से आग लगाकर वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास को नष्ट किया ?

## विवेचना एवं निष्कर्ष :-

- 6— प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण दोनो विचरणीय बिंदुओं का निराकण एक साथ किया जा रहा है।
- 7— नूर मोहम्मद खान परि.सा.01 का कथन है कि वह दिनांक 29.11. 2006 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह गस्तीदल के साथ कान्हा नेशनल पार्क के भुरसा दादर बीट कक्ष क.—75 में गस्ती कर रहा था। तभी सरईझाप की ओर से धुआ दिखाई दिया था तो पूरे स्टाफ सहित घेरा बंदी की थी। सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। दो व्यक्ति लकड़ी इकट्ठा कर दो जगह आग लगाकर बैठे हुए थे। घेरा बंदी कर मौके में एक व्यक्ति को पकड़ लिया था, जिसने अपना नाम हरिप्रसाद बताया था। दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया था। अभियुक्त हरिप्रसाद ने दूसरे व्यक्ति का नाम गुरूमुख बताया था और यह बताया था कि वह लोग लकड़ी इकट्ठा कर कोयला बनाने की गरज से आग लगाकर बैठे थे। अभियुक्त हरिप्रसाद से पूछने पर उसके पास उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने बाबत कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। मौके पर हरिप्रसाद से दो नग कुल्हाडी, दो रस्सी की छीक, एक नग

सुपर डीलक्स माचिस, जिसमें बीस नग जिंदा तीली जप्त कर प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त की थी। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्र.पी.02 का पी.ओ.आर. वनरक्षक नेताम के द्वारा काटा गया था।

नूर मोहम्मद खान प्ररि.सा.01 का यह भी कहना है कि विवेचना के समय उक्त साक्षी ने अभियुक्त हरिप्रसाद के बयान साक्षी के समक्ष लिये थे जो प्र.पी.03 है। अभियुक्त को प्र.पी.04 के गिरफतारी पंचनामा द्वारा गिरफतार किया गया था। साक्षी लवकुश, धन्नुलाल साक्षी के साथ गस्ती में थे। उनके बयान उनके बताये अनुसार साक्षियों के समक्ष लेख किये गये थे जो प्र.पी.05 एवं 06 है। साक्षी ने प्र.पी.07 का नजरीनक्शा तैयार किया था और अभियुक्त गुरूमुख के बयान साक्षी लवकुश, धन्नुलाल के समक्ष उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे जो प्र.पी.08 है जिसमें अभियुक्त गुरूमुख का निशानी अंगूठा है। जिसमें अभियुक्त गुरूमुख ने बताया था कि उसने अभियुक्त हरिप्रसाद के साथ कान्हा नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर लकड़ी काटकर कोयला बनाने के लिए दो जगह लकड़ी इकट्ठा कर आग लगायी थी। नूर मोहम्मद खान परि.सा.01 का यह भी कहना है कि अभियुक्त गुरूमुख को गिरफतार कर प्र.पी.09 का गिरफतारी पंचनामा बनाया था। वनरक्षक ने अपने बयान उसकी हस्तलिपि में लिखे थे जो प्र.पी.10 है। प्र.पी.10 पर तुलसीराम का अंगूठा निशानी लिया था। अभियुक्त हरिप्रसाद ने उसके बयान प्र.पी.03 में कान्हा नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर उक्त स्थान पर लकड़ी इकट्टा कर कोयला बनाने के लिए आग लगाना स्वीकार किया था। अभियुक्तगण की गिरफतारी की सूचना थाना प्रभारी को प्र.पी.10 एवं 11 के द्वारा दी गयी थी। जप्त संपत्ति माचिस नष्ट करने की अनुमित न्यायालय से प्र.पी.12 के माध्यम से प्राप्त की गयी थी। उक्त अनुज्ञा के पश्चात एक नग माचिस सुपर डीलक्स चाबी छाप माचिस, बीस नग जिंदा तीली प्र.पी.13 के माध्यम से पंचनामा बनाकर नष्ट की गयी थी।

9— भरतलाल नेताम परि.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 29.11. 2006 को भुरसा दादर बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त बीट कान्हा नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उक्त दिनांक को साक्षी एवं उसके साथ वाले गस्ती में कक्ष क्रमांक-75 सरईझाप में थे। वहां पर साक्षी ने धुआ उठता देखा था। फिर साक्षी ने एवं उसके साथ के व्यक्तियों ने घेराबंदी कर मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा था, एक व्यक्ति मौके से भाग गया था। पकड़ाये गये व्यक्ति ने अपना नाम हरिप्रसाद बताया था और भागे हुए साथी का नाम गुरूमुख बताया था। अभियुक्त हरिप्रसाद से मौके पर दो नग कुल्हाड़ी, दो नग रस्सी सीका तथा एक नग माचिस जप्ते कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया गया था। जिस पर अभियुक्त हरिप्रसाद की अंगूठा निशानी लिया था। इस साक्षी के द्वारा पंचनामा प्र.पी.14 पंचों के समक्ष बनाया गया था। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.14 के पंचनामा पर साक्षी ने अभियुक्त का निशानी अंगूठा लिया था एवं अभियुक्त के विरूद्ध साक्षी ने प्र.पी.02 का पी.ओ.आर. काटा था। साक्षी ने अपने बयान प्र.पी.10 परिक्षेत्र सहायक को दिया था। प्र.पी.02 एवं प्र.पी.10 के दस्तावेजों पर साक्षी ने उसके हस्ताक्षर होना बताया है। 10— साक्षी लवकुश परि.सा.02, धन्नुलाल परि.सा.05 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानते हैं। घटना दिनांक 29.11.2006 की सरईझाप नामक स्थान की भुरसादादर क्षेत्र की कक्ष क.75 की है। उक्त साक्षीगण को गस्ती के दौरान धुंआ उठता दिखाई दिया था। फिर साक्षीगण ने धुंआ वाले स्थान की घेराबंदी किये थे जिसमें से एक व्यक्ति पकडाया था और एक व्यक्ति भाग गया था। पकड़ाये गये व्यक्ति ने उसका नाम हरिप्रसाद बताया था। लवकुश परि.सा.02 का कहना है कि अभियुक्त हरिप्रसाद ने अपने फरार साथी का नाम गुरूमुख बताया था फिर साक्षीगण ने लगी हुई आग को बुझाया था। अभियुक्त हरिप्रसाद से दो नग कुल्हाड़ी, एक माचिस सुपर डीलक्स चाबी छाप जिसमें बीस नग जिंदा तीली थी एवं दो नग रस्सी सीका जप्त किये थे जिसके संबंध में साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 एवं प्र.पी.14 का पंचनामा तैयार किया था। साक्षी के समक्ष प्र.पी.02 का पी.ओ.आर. अभियुक्तगण के विरूद्ध काटा गया था। अभियुक्त हरिप्रसाद ने साक्षी के समक्ष अपना बयान प्र.पी.03

दिया था। अभियुक्तगण के पास कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में प्रवेश करने संबंधी कोई अनुज्ञा या दस्तावेज नहीं पाया गया था। अभियुक्तगण ने कोयला बनाने की नियत से कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क—75 में लकड़ी में आग लगायी थी। अभियुक्त हरिप्रसाद को गिरफतार कर प्र.पी.04 का गिरफतारी पंचनामा साक्षी के समक्ष तैयार किया गया था। साक्षी ने वन अधिकारी को अपना बयान प्र.पी.05 दिया था। अभियुक्त गुरूमुख ने उसका बयान प्र.पी.08 दिया था एवं अभियुक्त को प्र.पी.09 के गिरफतारी पंचनामा द्वारा गिरफतार किया था।

साक्षी धन्नुलाल परि.सा.05 का कथन है कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण को पकड़ा था। मौके पर उन लोगों से पूछताछ किये जाने पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने लकड़ी इकट्ठा कर जंगल में आग लगायी थी। अभियुक्त हरिप्रसाद के पास से एक कुल्हाड़ी, छींका जप्त किया था। मौके का पंचनामा साक्षी के समक्ष तैयार किया गया था जिसमें अभियुक्तगण ने अपराध किया जाना स्वीकार किया था। मौके का पुंचनामा प्र.पी.14 है। अभियुक्त हरिप्रसाद से साक्षी के समक्ष एक कुल्हाड़ी जप्त की गयी थी। साक्षी के समक्ष पीओआर प्र.पी.02 वनरक्षक के द्वारा जारी किया गया था। साक्षी के समक्ष अभियुक्त हरिप्रसाद एवं उसके साथी गुरूमुख के बयान परिक्षेत्र सहायक गढ़ी द्वारा लिये गये थे जो प्र.पी03 एवं प्र.पी.08 हैं। साक्षी के समक्ष अभियुक्तगण को प्र.पी.04 एवं प्र.पी.09 के गिरफतारी पंचनामा द्वारा गिरफतार किया गया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि जब उन्हें गस्ती के दौरान धुंआ उठता दिखाई दिया था तब घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को पकड़े थे। जिनमें एक हरिप्रसाद व दुसरा गुरूमुख था। अभियुक्त हरिप्रसाद से दो नग कुल्हाडी बेसा सहित जप्त किये थे, एक नग माचिस की डिब्बी जिसमें 20 नग तीलियां, दो नग सीका रस्सी सहित जप्त किये थे। अभियुक्त हरिप्रसाद से कक्ष क.–75 सरईझाप से दो नग कुल्हाड़ी बेसा सहित, एक नग माचिस, एक नग रस्सी सीका सहित जप्त किया था। अभियुक्त हरिप्रसाद ने उसके बयान

में एक नग माचिस जिसमें 20 तीलियां थी एवं रस्सी जप्त किये थे जिसमें अपने बयान में जंगल में आग लगाना स्वीकार किया था। कक्ष कृ.—75 कान्हा नेशनल पार्क प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से प्रवेश किया गया था। अभियुक्त गुरूमुख ने उसके बयान में लकड़ी काटना, कोयला बनाना स्वीकार किया था। अभियुक्त गुरूमुख ने जंगल में दो जगह आग लगाना स्वीकार किया था। साक्षी को अभियुक्तगण के बयान पढ़कर सुनाये गये थे तब साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के साथ घटना के समय लवकुश भी उपस्थित था। दोनों साक्षीगण के समक्ष पीओआर कमांक जारी किया गया था। तभी साक्षी ने उस पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपना बयान परिक्षेत्र सहायक गढ़ी को दिया था जो प्र.पी.06 है।

12— अब्दुल गफूर परि.सा.04 का कहना है कि वह दिनांक 29.11.2006 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। साक्षी के समक्ष पीओआर क 2930 / 05 दिनांकित 29.11.2006 से संबंधित विवेचना उपरांत समस्त दस्तावेज जांच के दौरान रखे गये थे। जांच पर दस्तावेजों की सत्यता पाये जाने के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्र.पी. 15 का परिवाद पत्र पेश किया गया था। जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्र.पी.01 लगा. प्र.पी.10 एवं प्र.पी.13, 14 के दस्तावेजों पर साक्षी ने क्रमशः डी से डी भाग पर जांच के दौरान प्रति हस्ताक्षर किये थे।

13— प्रकरण में परिवाद पत्र प्र.पी.15 के अनुसार दिनांक 29.11.2006 को कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क.—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र के सरईझाप नामक स्थान कोर जोन के अंदर अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी से कोयला बनाते समय उन्हें पकड़ा था। अभियुक्तगण से कुल्हाड़ी एवं माचिस जप्त की गयी थीं। अभियुक्तगण के पास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं होने से अभियुक्तगण ने आयुध सहित राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर राष्ट्रीय उद्यान के पेड़ों में, कोयला बनाने के लिए आग लगाकर वन्य प्राणी के प्राकृति आवास को नष्ट किया था इस कारण

उनके विरूद्ध पी.ओ.आर. प्र.पी.02 काटा गया था। परंतु नूर मोहम्मद खान परि.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की किडका—1 में यह स्वीकार किया है कि मौके से जली लकड़ी अंगार, कोयले की कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी थी। जबिक उक्त संपत्ति को जप्त किया जाना आवश्यक था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—7 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी तलाशी नहीं दी थी एवं अभियुक्त हरिप्रसाद का तलाशी पंचनामा नहीं बनाया था एवं वनरक्षक के बयान नहीं लिखे थे परंतु भरत नेताम वनरक्षक परि.सा.03 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसने उसका बयान प्र.पी.10 परिक्षेत्र सहायक को दिया था, घटना के समय परि.सा.क.01 परिक्षेत्र सहायक थे। नूर मोहम्मद खान परि.सा.01 एवं भरत नेताम वनरक्षक की साक्ष्य में भरत नेताम के बयान किसने लिए थे इस संबंध में विरोधासास है। साक्षी नूर मोहम्मद खान परि.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—9 में यह स्वीकार किया है कि बफर जोन में आने—जाने के लिए आम रास्ता खुला हुआ है।

14. नूर मोहम्मद खान परि.सा.01 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया है कि अभियुक्तगण से वन संपत्ति कोयला, अधजली लकड़ी आदि मोके से जप्त कर जप्ती नहीं बनायी थी। साक्षी भरत नेताम परि.सा.03 ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है। कि उसने घटनास्थल से कोई अधजली लकड़ी या कोयला की जप्ती नहीं बनायी थी। साक्षी लवकुश परि.सा.02 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटनास्थल पर अधजली लकड़ी की मौके पर कोई जप्ती नहीं बनायी थी। धन्नुलाल परि.सा.05 ने भी उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर अधजली लकड़ी के कोयले एवं अधजली लकड़ी की कोई जप्ती वनरक्षक ने नहीं बनायी थी। प्रकरण के घटना के प्रत्यक्षदर्शी सभी साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से घटनास्थल पर से अधजली लकड़ी एवं कोयला जप्त नहीं किया था। भरत नेताम परि.सा.03 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि उसने जिस व्यक्ति को पकड़ा था उसे भैंसानघ ति लेकर आये थे। प्र.पी.08 के अभियुक्त गुरूमुख के बयान पर लवकुश

के हस्ताक्षर हैं परंतु लवकुश ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त गुरूमुख ने वन कर्मचारियों को कोई कथन दिया था या नहीं उसे पता नहीं है। लवकुश ने यह भी बताया है कि वह गुरूमुख को पकड़ने उसके घर नहीं गया था।

15— प्रकरण में धन्नुलाल परि.सा.05 ने उसके प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य में बताया है कि उसने अभियुक्तगण को घटनास्थल पर आग लगाते हुए नहीं देखा था। धन्नुलाल ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसने अभियुक्तगण को नहीं पकड़ा था। धन्नुलाल ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि घटना के समय घटनास्थल पर परिक्षेत्र सहायक उपस्थित नहीं थे। धन्नुलाल ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि मौके पर कोई लिखा पढ़ी वन विभाग द्वारा नहीं की गयी थी एवं मौके पर कोई कागज तैयार नहीं किये गये थे। धन्नुलाल ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि प्र. पी.06 के उसके बयान एवं प्र.पी.14 के पंचनामा में अभियुक्त हरिप्रसाद से दो नग कुल्हाड़ी, एक माचिस सुपर डीलक्स चाबी कंपनी की, बीस तीली, दो नग सीका रस्सी जप्त करने की बात लिखी हो तो वह गलत है। इस साक्षी ने उसके प्र.पी.06 के बयान और प्र.पी.14 के पंचनामा का समर्थन नहीं किया है। धन्नुलाल ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा आग नहीं लगायी थी इसलिए घटनास्थल से अधजली लकड़ी एवं कोयला जप्त नहीं किया था।

16. प्रकरण में परिवादी पक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने किसी को भी अपनी तलाशी घटना के समय नहीं दी थी। लवकुश परि. सा.02 ने अभियुक्तगण को घटनास्थल पर लकड़ियों में आग लगाते हुए नहीं देखा था। धन्नुलाल परि.सा.05 ने सभी दस्तावेजों पर एक ही समय में भुरसादादर कैंप में हस्ताक्षर करना बताया है परंतु प्र.पी.04 का अभियुक्त हरिप्रसाद का गिरफतारी पंचनामा एवं अभियुक्त गुरूमुख का गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.09 में अभियुक्तगण की गिरफतारी कि दिनांक एवं समय अलग अलग है इस कारण अभियुक्तगण की गिरफतारी संदिग्ध दर्शित होती है। प्र.पी.02 के पी.ओ.आर में समय का उल्लेख नहीं

है। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा में यह उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त हरिप्रसाद से कितने बजे सामान जप्त किया था। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा में समय का उल्लेख नहीं है। प्रकरण में अभियुक्त गुरूमुख से कोई सामान जप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। 📜

17— परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-27, 29, 30, 31, 32, 35(6)(8) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 19—

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ती दो नग कुल्हाड़ी बेसा, रस्सी सींका अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

्यायंक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बेहर जिला–बालाघाट

# (दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बैहर जिला-बालाघाट